पत्रांक–04–शहरी जलापूर्ति–06–03 / 2026 /न०वि०एवंआ०वि०

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

**राजीव शंकर,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार (ले० एवं ह०),**
**बिहार, पटना।**
***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत नगर परिषद्, दानापुर निजामत क्षेत्रान्तर्गत विभाग द्वारा स्वीकृत योजना के विरूद्ध योजना के लिए राज्य मद से देनदारी की अवशेष राशि में से राशि ₹84.92500 लाख (चौरासी लाख बेरान्वे हजार पाँच सौ रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2026–27 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष–2021–22 में नगर परिषद्, दानापुर निजामत क्षेत्रान्तर्गत विभाग द्वारा क्रियान्वित हर घर नल का जल निश्चय योजना हेतु राशि ₹1430.15000 लाख (चौदह करोड़ तीस लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। विभागीय राज्यादेश संख्या–163 दिनांक–18.08.2023 द्वारा प्रदान करते हुये राशि ₹630. 15000 लाख (छह करोड़ तीस लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र आवंटित की गई थी। राशि का व्ययोपरांत अवशेष राशि की मांग बुडको का पत्रांक–1506 दिनांक–01.06.2026 के माध्यम से की गई।

2. वित्तीय वर्ष 2021–22 में नगर परिषद्, दानापुर निजामत क्षेत्रान्तर्गत विभाग द्वारा क्रियान्वित हर घर नल का जल निश्चय योजना हेतु राशि ₹1430.15000 लाख (चौदह करोड़ तीस लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–1330 दिनांक–22.05.2022 द्वारा प्रदान की गई है।

3. उक्त के आलोक में निम्न तालिक के स्तंभ–2 में वर्णित योजना के आलोक में स्तंभ–4 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के विरूद्ध स्तंभ–6 में अंकित अवशेष राशि नगर परिषद्, दानापुर निजामत को राशि ₹84.92500 लाख (चौरासी लाख बेरान्वे हजार पाँच सौ रूपये) मात्र रूपये की स्वीकृति नल–जल योजना अंतर्गत राज्य मद से निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

(राशि लाख में)

| क्र० सं० | योजना का नाम | राज्यादेश सं०/ दिनांक | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | राज्य योजना मद से पूर्व में आवंटित राशि | तत्काल स्वीकृत राशि | अवशेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | बुडको द्वारा क्रियान्वित दानापुर निजामत जलापूर्ति योजना | 163/18.08.2023 | ₹1430.15000 | ₹1345.22500 | ₹84.92500 | 00.00 |

**अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹84.92500 लाख (चौरासी लाख बेरान्वे हजार पाँच सौ रूपये) मात्र**

D:\Sec 4\krishna gopal\Jalapurti Allotment Modi Jee.docx

4. उक्त स्वीकृत **राशि ₹84.92500 लाख (चौरासी लाख बेरान्वे हजार पाँच सौ रूपये) मात्र के निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक– 214, दिनांक–06.03. 2024 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर परिषद्, दानापुर निजामत के PL खाता सं०–DNPPLA002 तथा*** *HOA-* ***00-8448-00-102-0002-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। तत्पश्चात कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत द्वारा राशि का हस्तान्तरण कार्यकारी एजेंसी बुडको को हस्तांतरित की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।***

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹84.92500 लाख (चौरासी लाख बेरान्वे हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की निकासी मांग सं०–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई–उपमुख्य शीर्ष –01 – जल पूर्ति– लघु शीर्ष –192–नगर परिषद् को सहायता –उप शीर्ष–0101–पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48–2215011920101, विषय शीर्ष–0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 से की जाएगी।

6. बिहार कोषागार संहिता के नियम – 286 के आलोक में यथा **BTC- 42A** फॉर्म सं० –46 में राशि की निकासी की जाएगी। वित्त विभाग के परिपत्र सं०–1496/वि(2), दिनांक–22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र **BTC- 42A** फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10. 2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

9. योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भौतिक प्रगति के Milestone के अनुसार संवेदक/फर्म को राशि का भुगतान किया जाय। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के पत्रांक–2460, दिनांक–04.08.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा संवेदक/फर्म को किये गये भुगतान की सूचना प्रवर्तन निदेशालय एवं संबंधित अन्य जाँच एजेंसियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

10. उक्त राशि का व्यय बिहार वित्त नियमावली, PWD Code एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्पों के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04–शहरी जलापूर्ति–06–03/2026 के पृष्ठ सं०–......134...../टि० पर दिनांक–01.07.2026. को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–...141..... ....../टि० पर दिनांक–25.07.2026.... को प्राप्त है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

ह०/–

**सरकार के संयुक्त सचिव।**

**ज्ञापांक**–04–शहरी जलापूर्ति–06–03/2026 122 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 31/07/26

**प्रतिलिपिः**– आयुक्त,पटना /जिला पदाधिकारी, पटना /प्रबंध निदेशक, बुडको/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दानापुर निजामत/अवर सचिव सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**सरकार के संयुक्त सचिव।**

D:\Sec 4\krishna gopal\Jalapurti Allotment Modi Jee.docx